Complaint No - 352[c] / 2023
C. N. R. No - BRSU-11001-141-2023
Date of Judgment - 10-03-2026
Present - Nandita Kumari.
Trial No. - 41/ 2026.

न्यायालय, श्रीमती नंदिता कुमारी, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर (सुपौल)

प्रपत्र–अ

उपस्थितः– श्रीमती नंदिता कुमारी,
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी,
वीरपुर

परिवाद पत्र संख्या– 352 सी / 2023

परिवादनी / सूचक	(1) अनारवती देवी उम्र–60 वर्ष पति–स्व0 गोसाई शर्मा साकिन – गोपालपुर लोकहा थाना–भपटियाही जिला–सुपौल.....**(परिवादी)**
अभियुक्तगण	(1) लखन शर्मा उम्र–63 वर्ष पे0 स्व0 सुकराम शर्मा। (2) सत्य नारायण शर्मा उम्र–61 वर्ष पे0 सुकदेव शर्मा। (3) हरि नारायण शर्मा उम्र–67 वर्ष पे0 सुखदेव शर्मा। सभी साकिन – गोपालपुर लोकहा थाना–भपटियाही जिला–सुपौल.....**(प्रतिरक्षा पक्ष)**
परिवादनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री विनय कुमार भारती (विद्वान अधिवक्ता)
अभियुक्तो की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री किशन प्रसाद यादव एवं कुमारी संध्या झा (विद्वान अधिवक्ता)

प्रपत्र–ब

घटना की तिथि	20.08.2023
परिवाद पत्र दाखिल करने की तिथि	04.09.2023
संज्ञान की तिथि	19.12.2023
अभियोग का सारांश की तिथि	06.02.2024
साक्ष्य प्रारम्भ की तिथि	03.04.2024
जिस तिथि को फैसला सुरक्षित रखा गया	09.03.2026
निर्णय सुनाये जाने की तिथि	10.03.2026
सजा आदेश की तिथि (यदि कोई हो)	.....

Complaint No - 352[C] / 2023
C. N. R. No - BRSU-11001-141-2023
Date of Judgment - 10-03-2026
Present - Nandita Kumari.
Trial No. - 41/ 2026.

न्यायालय, श्रीमती नंदिता कुमारी, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर (सुपौल)

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त सं0–1, 2, 3 ।
अभियुक्तगण का नाम	(1) लखन शर्मा । (2) सत्य नारायण शर्मा । (3) हरि नारायण शर्मा ।
गिरफतारी हाने की तिथि	.....
जमानत होने की तिथि	दिनांकः– 06.02.2024
अपराध जिसका अभियोग का गठन सुनाया गया	धारा–341, 323, 504 भा0द0वि0।
दोषसिद्धि या दोषमुक्ति	दोषमुक्ति
सजा जो अधिरोपित किया गया	.....
428 द0प्र0सं0 के अनुसार विचारण के दौरान कैद की अवधि	.....

प्रपत्र–स

अभियोजन / बचाव / परिवादी के साक्षी / न्यायालय न्यायालय के साक्षियों की सूची

स. परिवादी साक्षी (आरोप पूर्व साक्ष्य)

क्रम सं0	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्षी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेश साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

(आरोप पूर्व साक्ष्य) साक्षी यदि कोई होः–

क्रम सं0	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्षी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेश साक्षी, चिकित्सक साक्षी पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
.....	.....	.....

बचाव पक्ष के साक्षी यदि कोई होः–

क्रम सं0	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्षी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेश साक्षी, चिकित्सक साक्षी पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
.....	.....	.....

Complaint No - 352[c] / 2023
C. N. R. No - BRSU-11001-141-2023
Date of Judgment - 10-03-2026
Present - Nandita Kumari.
Trial No. - 41/ 2026.

न्यायालय, श्रीमती नंदिता कुमारी, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर (सुपौल)

न्यायालय के साक्षी यदि कोई हो:–

क्रम सं0	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्षी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेश साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
.....	.....	.....

अभियोजन / बचाव / परिवादी के साक्षी / न्यायालन के प्रदर्शों की सूची

क्रम सं0	प्रदर्श सं0	विवरण
.....	.....	.....

बचाव पक्ष की ओर प्रदर्श

क्रम सं0	प्रदर्श सं0	विवरण
.....	.....	.....

न्यायालय की ओर से प्रदर्श

क्रम सं0	प्रदर्श सं0	विवरण
.....	.....	.....

कोई वस्तु

क्रम सं0	वस्तु	विवरण
.....	.....	.....

निर्णय

1. कुल 03 अभियुक्तगण (1) लखन शर्मा (2) सत्य नारायण शर्मा (3) हरि नारायण शर्मा का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 341, 323, 504 भा0द0वि0 के अपराध के आरोप हेतु किया गया। अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की माँग किया।

2. कथित घटना की सूचिका अनारवती देवी है। परिवाद पत्र के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचिका के पति–स्व0 गोसाई शर्मा की हिस्से की जमीन मौजा–सातनपट्टी, थाना नं0 28 थाना–रतनपुरा, अंचल–बसंतपुर खाता–49 खेसरा– 517, 724, 741, 519 एवं हाल खाता–224 हाल खेसरा–868, 878, 879, 930 कुल रकबा 0–6–13–0– (छः कट्ठा तेरह धुर), जिसमें दिनांक 20.08.2023 को अपने बच्चों के साथ अपना धान काट रही थी। सभी मुदालहगण गलत मजमा बनाकर आये आये एवं

न्यायालय, श्रीमती नंदिता कुमारी, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर (सुपौल)

भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे। मना करने पर परिवादिनी के बाल पकड़कर तीनो मुदालय ने उसे जमीन पर पटक दिया और ऐड–मुक्का एवं फाइट से बुरी तरह मारते हुए साड़ी खींचकर बे–नग्न कर दिया। हो–हल्ला पर परिवादिनी का पुत्र–राजेन्द्र शर्मा एवं उसकी पत्नी दौड़कर उसे बचाने आयी तो उनके साथ भी मारपीट कर पुत्र की जेब से पांच हजार रूपया निकाल लिया। मुदालय जाते–जाते धमकी दिया कि किसी भी समय उसको जान से मार देंगे। परिवादिनी को जान से मारने की नियत से मुदालय उसके गले में गमछी लगाकर चाप दिया, जिससे वह अचेत होकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गयी। परिवादिनी के पुत्र व पुत्रवधु को भी बुरी तरह मुदालयगण ने मारपीटा। परिवादिनी के हिस्से की जमीन मौजा नरपतपट्टी थाना नं0–27 अंचल–बसंतपुर खाता–18 खेसरा–467, 564, 567, 565, 568 रकबा–6–13–0 (छः कट्ठा तेरह धुर), जो कि परिवादिनी के पति–स्व0 गोसाई शर्मा के नाम खतियानी जमीन है, जिसका परिवादिनी पूर्व से भोग व तसरूफ करते चले आ रहे है, जिसको उक्त तीनों मुदालह धोखे से व छिपाकर अपने नाम जमाबंदी में दर्ज करा लिया है जो अवैध है। यह अवैध कार्य मुदालह ने परिवादिनी के पति की मृत्यु के पश्चात् धोखे से गलत वंशावली दिखाकर अपने नाम जमाबंदी दर्ज करवा लिया। परिवादिनी द्वारा मुखिया सरपंच से कहकर पंचायत आहुत करायी, जिसे मुदालह नहीं माने। अंत में शिकायतकर्ता ने दिनांक 04.09.2023 को धारा– 341, 147, 323, 379, 307, 420, 120बी, 354, 504, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत (1) लखन शर्मा पे0 स्व0 सुकराम शर्मा (2) सत्य नारायण शर्मा पे0 सुकदेव शर्मा (3) हरि नारायण शर्मा पे0 सुकदेव शर्मा के विरूद्ध यह शिकायत दायर की। जिसके बाद जांच साक्ष्यों का साक्ष्य लिया गया और धारा– 341, 323, 504 के तहत (1) लखन शर्मा पे0 स्व0 सुकराम शर्मा (2) सत्य नारायण शर्मा पे0 सुकदेव शर्मा (3) हरि नारायण शर्मा पे0 सुकदेव शर्मा के खिलाफ प्रथमदृष्ट्या मामला बनता पाया गया और तद्नुसार उन पर सम्मन जारी करने के पश्चात् आरोपियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी और साक्ष्य की जांच की गयी और धारा– 341, 323, 504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत उक्त तीनों अभियुक्तों को हिन्दी में आरोपों का सार समझाया गया, जिस पर उन्होंने दोषी न होने का दावा किया और मुकदमें की मांग की।

3. बचाव पक्ष ने अपने बचाव के क्रम में धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभिलिखित बयान में अपने को निर्दोष बताया है तथा घटना कारित करने से इन्कार किया है।

4. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या परिवादी पक्ष अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

Complaint No - 352[C] / 2023
C. N. R. No - BRSU-11001-141-2023
Date of Judgment - 10-03-2026
Present - Nandita Kumari.
Trial No. - 41/ 2026.

न्यायालय, श्रीमती नंदिता कुमारी, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर (सुपौल)

5. विचारण के क्रम में परिवादी द्वारा कोई मौखिक साक्षी नहीं परीक्षित कराया गया, न ही परिवादी की तरफ से अन्य किसी भी प्रकार का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मंतव्य

7. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्रियों एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का विस्तृत बहस सुना। सम्पूर्ण सामग्रियों एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के विस्तृत बहस सुनने के पश्चात न्यायालय पाती है कि परिवादी के द्वारा अपने केस को साबित करने हेतु एवं अभियुक्तों पर लगे आरोपों को साबित करने हेतु एक भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अत : ऐसी परिस्थिति में न्यायालय पाती है कि परिवादी अभियुक्तों पर लगी धारा– 341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा।

आदेश

आज निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितयों एवं उभय पक्षों के बीच कुल 03 अभियुक्तगण (1) लखन शर्मा (2) सत्य नारायण शर्मा (3) हरि नारायण शर्मा को धारा– 341, 323, 504 का भाारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से निर्दोष पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं उनके जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्वों से भी मुक्त किया जाता है। यह निर्णय इस अभिलेख के साथ पन्ना 01 से 05 तक है। कार्यालय अभिलेख को विधि अनुसार अभिलेखागार में जमा करें।

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत

Nandita Kumari
नंदिता कुमारी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
वीरपुर
दिनांकः—10.03.2026

निर्णय खुले न्यायालय में हिन्दी में सुनाया गया।

Nandita Kumari
नंदिता कुमारी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
वीरपुर
दिनांकः— 10.03.2026

अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी वीरपुर (सुपौल)